कार्यालय, जिला शिक्षा अधीक्षक, धनबाद

आवश्यक सूचना

बिहार सरकार द्वारा वर्ष 1987, 1988,1994 एवं 1999–2000 में राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालयों में नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति की तिथि से ग्रेड–1 प्रदान करने तथा नियुक्ति तिथि के आधार पर उनकी पारस्परिक वरीयता निर्धारित करने संबंधी आदेश स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या–3027 दिनांक 14.12.2015 के निदेशानुसार कार्यालय पत्रांक 88 दिनांक 13.01.2016 द्वारा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को उच्च योग्याधारी अप्रशिक्षित शिक्षकों की सूची उपलब्ध करायी गई थी एवं आपत्ति की मांग की गई थी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची को समेकन कर धनबाद जिले के बेवसाइट **www.dhanbad.nic.in** पर शिक्षक/शिक्षिकाओं के अवलोकन हेतु अपलोड कर दी गयी है शिक्षक/शिक्षिकाओं को निदेश दिया जाता है कि पत्र निर्गत तिथि के एक पक्ष के अन्दर सूची में किसी प्रकार की आपत्ति है तो निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के पास आपत्ति दर्ज करें। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि के उपरांत तीन दिनों के अन्दर सत्यापित कर एवं आपत्ति को निराकरण कर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। सूची की प्रति प्रखण्ड संसाधन केन्द्र में भी देखी जा सकती है।

23/2/16

जिला शिक्षा अधीक्षक,
धनबाद

23/2/16